

**बिहार सरकार**  
**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय**  
**गृह विभाग (कारा)**  
**आदेश**

श्री रामकुमार सिंह, मुख्य उच्च कक्षपाल, गृह जिला-पटना को विभागीय आदेश ज्ञापांक-459 दिनांक 02.02.2017 द्वारा निलम्बन से मुक्त किए जाने के फलस्वरूप अगले आदेश तक मंडल कारा, हाजीपुर में पदस्थापित किया जाता है।

2. अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर अविलम्ब उपरोक्त कर्मी को विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. उपरोक्त कर्मी बिना पारगमन अवधि का उपभोग किए 24 घण्टे के अन्दर नव पदस्थापित कारा में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
5. उपरोक्त पर महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-


**उप महानिरीक्षक (प्रशासन)**  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/कक्ष0 (स्था0)-02-11/2013 ..... दिनांक ...../...../2017  
प्रतिलिपि- अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर/मंडल कारा, दरभंगा/उपकारा,  
वीरपुर/संबंधित कर्मी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित।

ह0/-

**उप महानिरीक्षक (प्रशासन)**  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/कक्ष0 (स्था0)-02-11/2013 .....831..... दिनांक ...22/2..../2017  
प्रतिलिपि- महानिरीक्षक कोषांग/संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)/निगरानी  
प्रशाखा, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को  
सूचना तथा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
**उप महानिरीक्षक (प्रशासन)**  
बिहार, पटना।